

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. पुष्पादेवी पत्नि जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनीयाखुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द के बजाय
- 1/1 कमलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनीयाखुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी राशमी तहसील राशमी।
- 1/2 निखिलेश पिता जगदीशचन्द्र जाति सुवालका निवासी बामनीयाखुर्द तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी राशमी तहसील राशमी।

वादीगण

बनाम

1. मोहम्मद हुसैन पिता करीम खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. रजाक खां पिता करीम खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. याकुब खां पिता करीम खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. इकबाल खां पिता करीम खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
5. रहमत बाई बेवा करीम खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. बंशीर खां पिता ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 के बजाय
- 6/1 बिस्मीला पत्नि बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6/2 कमरुनीशा पुत्री बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6/3 मेहरून निशा पुत्री बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6/4 सत्तार पिता बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6/5 बरकततुला पिता बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6/6 शब्बीर खां पिता बंशीर खां जाति मुसलमान आयु बालिग निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री मनोहर गोस्वामी
अधिवक्ता रोशनलाल शर्मा 1,2,
अधिवक्ता कैलाशचन्द्र सुखवाल6/2,6/3

वादीगण।
प्रतिवादी।

--: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट :-

प्रकरण संख्या :- 152/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरु श्री मनोहर गोस्वामी वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित में मिनजतिबुद्धि न्याय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से खारिज किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा राशमी पटवार हथान राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 2257 रकबा 1.08 बिघा किस्म बीड



(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

लगान 2.98 रूपया, आराजी संख्या 2256 मे से रकबा 4.01 बीघा किस्म चाही,जाव लगान 5.02 रूपया, आराजी संख्या 2251 मे से रकबा 0.12 बीघा किस्म चाही-3 लगान 1.80 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 6.01 बीघा लगान 7.80 रूपया का कमलेश,निखिलेश पिता जगदीश चन्द्र सुवालका हि.ब.सा.देह खातेदार, आराजी संख्या 2251 मे से 2.08 बीघा किस्म जाव-3,चाही-3 लगान-0.21 रूपया,आराजी संख्या 2256 मे से रकबा 4.12 बीघा किस्म जाव-3 लगान 3.22 रूपया,आराजी संख्या 2292 रकबा 5.02 बीघा किस्म बारानी-2 लगान 3.57 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 12.02 बीघा लगान 13.30 रूपया का मोहम्मद हुसैन,रज्जाकखां, याकूबखां, इकबालखां, रहमतबाई पत्नि स्व.करीम खां 1/2 सत्तार खां,बरकतुल्ला खां,शब्बीरखां, कमरुनिशा, महरुनिशा पिता बशीर खां,विसमिला पत्नि स्व. बंशीर खां 1/2 मुसलमान सा0देह ,खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तुर रखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को सरे मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान राशमी में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नीता वसीदा)
 (नीता वसीदा)
 सहायक कलेक्टर,
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

मिर्चाने स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(नीता वसीदा)
 (नीता वसीदा)
 सहायक कलेक्टर,
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी